



डॉ० कामरान हसन

ग्रामों में शिक्षा व्यवस्था का विकास

असि० प्रोफेसर- शिक्षाशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार), भारत

Received-12.06.2024, Revised-19.06.2024, Accepted-24.06.2024 E-mail: kamranhasan186@gmail.com

साशंसा: शिक्षा सामाजिक सशक्तीकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। विज्ञान, तकनीकी और सभ्यता की उन्नति के साथ साथ महिलाओं की भूमिका में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उसमें शिक्षा विशेषकर गुणवत्ता परक शिक्षा की विशेष भूमिका है। गुणवत्ता परक स्त्री शिक्षा का मुख्य कार्य है स्त्री अधिगम को प्रभावी बनाना, उनके ज्ञान, कौशल, योग्यता को उन्नत करना, उनके अनुभव में वृद्धि करना तथा उनका सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं जिनकी पहचान कर प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। प्रस्तुत लेख इसी विश्लेषण पर आधारित है।

कुंजीभूत शब्द- सामाजिक सशक्तीकरण, मूलभूत साधन, सभ्यता, गुणवत्ता परक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कौशल, योग्यता, मानसिक।

शिक्षा सामाजिककरण, बदलाव और नवीनता लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति में ऐसी समझ एवं सामर्थ्य उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उचित प्रकार से उपयोग करके स्वयं एवं समाज का कल्याण कर सकता है। यही कारण है कि शैक्षिक विकास को किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। जहां तक ग्रामीण विकास में शिक्षा के योगदान का प्रश्न है, निःसंदेह ग्रामीण विकास में शिक्षा के प्रसार को एक वरदान माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध होता है, जिसके द्वारा ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन लाया जा सकता है और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के परम्परागत तरीकों को आधुनिक रूप दिया जा सकता है। शिक्षा के इसी महत्व के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को 'चेतना के विकास और समाज के पुनर्निर्माण' का बुनियादी आधार माना था।¹ शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय विचारकों ने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की थीं। वैदिक युग में प्रत्येक आर्य के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था। इस संस्कार के साथ ही विद्या का आरम्भ होता था।² मध्यकालीन मुः स्लम शासकों ने भी शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया था। उस समय मस्जिदों में 'मकसबों' की व्यवस्था होती थी, जिसमें लड़के लड़कियां प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करते थे। इस काल में स्त्री शिक्षा थी उच्च आवश्यक, पर यह उच्च घरानों तक ही सीमित थी। ग्रामीण स्त्रियों का शिक्षा प्राप्त करना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव था। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से बौद्धिक विकास का बहुत ही कम अवसर मिलता था।³ भारत में ब्रिटिश शासनकाल में भी शैक्षिक विकास के लिए कुछ आधारभूत संरचना विकसित करने तथा आधुनिक प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। समस्त प्रयासों के उपरांत अधोमुखी निस्पन्दन सिद्धांत (डाउनवार्ड फिल्डेशन थ्योरी) को आधार बनाकर समाज के उच्च वर्ग के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत करना था।⁴

देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा के विकास को पर्याप्त गति प्रदान करने के लिए सभी स्तरों से चेष्टाएँ तो की जाती रही हैं, भले ही उनसे अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ सके हैं। हमारे संविधान के चौथे भाग के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के द्वारा "बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है।"⁵ सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 1992 के फैसले के अनुसार, शिक्षा पाना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सन् 1976 ई० से पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों की हुआ करती थी। सन् 1976 में किये गये संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए शासकीय प्रयास साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं। प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की कमी को दूर करने की दिशा में शिक्षामित्र योजना ग्राम पंचायतों की देखरेख में संचालित की गयी है। ग्राम पंचायतों के ऐसे क्षेत्र, जहां एक किमी० की दूरी पर विद्यालय नहीं है, वहां पर भी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना 'शिक्षा गारन्टी योजना' के नाम से प्रारम्भ की गयी है। शिक्षा, विकास की एक अनिवार्य शर्त है और साक्षरता शिक्षा की पहली सीढ़ी है। समाज के संपूर्ण विकास के लिए इन विभिन्नताओं को मिटाये जाने की सख्त और त्वरित आवश्यकता है। महिला शिक्षा के बारे में सुप्रसिद्ध समाज सेविका दुर्गाबाई देशमुख का कहना है कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा समस्त परिवार की शिक्षा है। इससे सम्बन्धित कुछ कागजी कार्यक्रम बनाकर उनके क्रियान्वयन में घोर लापरवाही का भी परिचय दिया जाता है। जनपद व ग्रामों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रचार, प्रसार और पहुंच में वृद्धि तो हुई है, परन्तु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

भौतिक संसाधन-

1. विद्यालय के भौतिक संसाधनों का छात्रों के अधिगम वातावरण तथा विद्यालयी गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ भौतिक वातावरण केवल प्रभावी पाठ्यक्रम क्रियाकलापों के लिए नहीं बल्कि छात्र एवं शिक्षक दोनों के स्वस्थ विकास के लिए भी आवश्यक है। भवन, पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री आदि विशेषताएं विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसे सुनिश्चित करने हेतु ही आपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था भौतिक सुविधाओं के अतिरिक्त कक्षा - कक्ष में श्यामपट एवं उच्च



कोटि की शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की स्थिति किसी भी विद्यालय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण घटक हैं।

2. शिक्षक योग्यताएं एवं उपयुक्त प्रशिक्षण जब भी गुणवत्ता की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों, उनकी क्षमता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा उनकी अभिप्रेरणा की तरफ हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. पाठ्य पुस्तकें एवं अधिगम सामग्री की गुणवत्ता भी स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख पटक है।

4. दूरस्थ शिक्षा में उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रेषण में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी माध्यमों का समुचित रूप से प्रयोग स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमुख कारण है।

5. मूल्यांकन प्रणाली भी स्त्री की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें भी लैंगिक विभेद को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि कम उपलब्धि पाने पर बालिकाएँ हतोत्साहित हो जाती हैं और बहुधा उनके अभिभावक उन्हें आगे शिक्षा प्राप्त करने से रोक देते हैं।

6. छात्राओं की खराब पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

7. छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

8. उपयुक्त शिक्षण विधियों, पर से विद्यालय की दूरी, सुरक्षा एवं लिंग विभेद वातावरण, उपयुक्त भाषा प्रयोग, कुशल नेतृत्व, सकारात्मक अध्यापक प्रवृत्ति, विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन आदि समस्त कारक स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्त्री शिक्षा में वृद्धि एवं गुणात्मक सुधार हेतु प्रशासनिक हस्तक्षेप की महती आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा प्रणाली में प्रशासन की अहम भूमिका होती है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था, सुविधायें, विद्यालयी भौतिक संसाधन, शिक्षक अभिप्रेरणा एवं शिक्षा की प्रविधियों में सुधार लाया जाये। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं संशोधित शिक्षा नीति (1992) में भी इसी पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर स्त्री शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की जा रही है। यह विदित है कि शैक्षिक विकास में जितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनपदों में चलाए जा रहे, उन सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाओं के संख्यात्मक सुधार का भी है। अगर हम साक्षरता या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो इनकी भी काफी निराशाजनक तस्वीर ग्रामों में देखने को मिलती है। इस दिशा में भी प्रयास किये गये महती आवश्यकता हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी पाठशाला भवनों की बदहाल स्थिति जैसे कुछ ऐसे विशेष कारण हैं, जिनकी वजह से बच्चे एवं अभिभावक सरकारी शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षा निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को वरीयता देते हैं तथा इन्हीं कारणों से अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से कतराते हैं और जो बच्चे स्कूलों में पहुंचते भी हैं, वे समय से पहले स्कूल छोड़ देते हैं या छोड़ने को विवश हो जाते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम विकास में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए ज जनपदों के ग्रामों की जनसंख्या का साक्षरता स्तर बहुत ही निम्न होता है या सामान्य है और महिलाओं के मामले में तो इसकी स्थिति और भी बदतर है। भारत के परंपरागत तथा रूढ़िवाद समाज में महिला साक्षरता को अनावश्यक समझा जाता रहा है, लेकिन तस्वीर अब बदल रही है, इसके परिणाम स्वरूप परतंत्रता के अर्द्धशतक के पश्चात भी महिला साक्षरता की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। ग्रामों में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जो शैक्षिक सुविधाएं पहुंचाई गयी हैं, उनमें मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से अभी भी बहुत कमियां हैं। ग्रामों में उपलब्ध स्कूलों में शिक्षकों का भी अभाव है। यह अभाव नियुक्त शिक्षकों की संख्या में कमी के चलते तो है ही, शिक्षकों द्वारा अन्य काम किये जाने और कुछ हद तक कामचोरी की वजह से भी है, जिसकी पूर्ति तत्काल जरूरी है। शिक्षकों की संख्या पर ध्यान देने के साथ – साथ उनमें शिक्षण के हुनर को विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा और सबसे बड़ी बात तो यह देखनी होगी कि शिक्षकों में बच्चे और उनकी सीखने की क्षमता व ललक के प्रति संवेदना व सम्मान हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गैरोलाय प्रो. रामानन्द, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, सितम्बर-2004, पृ०-27.
2. श्रीवास्तव, डॉ. के. सी., : प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1999-2000, पृ०-770, 771.
3. चौबे, डॉ. झारखण्ड, एवं डॉ. कन्हैयालाल श्रीवास्तव : मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 2000, पृ०-517-525.
4. ग्रोवर, बी. एल., एवं यशपाल आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द एण्ड के लि., नई दिल्ली, 2002, पृ०-255-261.
5. दुर्गादास, आचार्य डॉ., बसु : भारत का संविधान- एक परिचय, पेंटिस हाल ऑफ इण्डिया प्रा. लिंक, नई दिल्ली, 1999 पृ०-141, 446.
6. नारायण, रूप, : कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, सितम्बर, 2004, पृ -31.
